

कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर

पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने, नर्सरी लोकरावेल फोन नं. 0201-2630753 ई-मेल: dfojodhpur@gmail.com

क्रमांक: एफ (593)एफ.सी.ए/उवसं/2022/ 11415

दिनांक: 12/02/2022

निमित्त:- सभागीय मुख्य वन संरक्षक
जोधपुर

विषय: प्रस्तावित रोड़ कुड़ी भगतासनी हाऊसिंग बोर्ड से पाली सम्पर्क रोड़ हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं. FP/RJ/16088/2015, क्षेत्रफल 0.3291 के संबंध में।

संदर्भ : ऑन लाइन परिवेश पोर्टल पर उच्च कार्यालय द्वारा लगाए गए आक्षेप दिनांक 19.11.2021 एवं कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर का पत्र क्रमांक जो.वि.प्रा./अ. अ/दक्षिण/2021-22/792 दिनांक 18.01.2022 (छायांप्रति संलग्न)

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में उच्च कार्यालय द्वारा ऑन लाइन परिवेश पोर्टल पर लगाए गए आक्षेप दिनांक 16.11.2021 के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत पालना निम्न लिखित है :-

Ser No	Type of E.D.S.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत पालना
1.	The proposal should not be recommended because an alternate road is available to connect PAL Road, so this road is not required.	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उल्लेखित वैकल्पिक मार्ग से हजारों वाहन प्रतिदिन गुजरते हैं। उक्त वैकल्पिक मार्ग अत्यन्त टेढ़ा-मेढ़ा एवं संकड़ा है, कुछ स्थानों पर उक्त मार्ग मात्र 15 फीट चौड़ा है तथा साथ ही कई स्थानों पर 90 डिग्री पर मुड़ने वाले खतरनाक अन्धे मोड़ है जिसके कारण यहा पर कई बार भीषण दुर्घटनाए होने से जनहानि-अनहोनी हो जाने का आदेशा बना रहता है तथा ट्राफिक के भारी दबाव के कारण व्यस्त अवधि के दौरान यहां से बड़े वाहनों का गुजरना लगभग असम्भव हो जाता है।</p> <p>इन्हीं तथ्यों की दृष्टिगत रखते हुए, उक्त वैकल्पिक मार्ग मौजूद होने के बावजूद अधोहस्ताक्षर कर्ता द्वारा इस प्रकरण में Diversion हेतु प्रस्तावित भूमि का मौका निरीक्षण किये जाने पर इसके औचित्य एवं महती आवश्यकता से पूर्णतया सहमत होकर इस प्रस्ताव की अनुशंषा की गई।</p> <p>इसी क्रम में यह भी निवेदन है कि शहर के नागरिकों के आवागमन के लिए सहज एवं सुरक्षित सड़क मार्ग उपलब्ध कराया जाना प्रयोक्ता अभिकरण की नैतिक जिम्मेवारी है, यहा के निवासियों की इस मूलभूत मांग को दृष्टिगत रखकर गहन विचारोपरान्त ही प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रबंधन हेतु उक्त Diversion हेतु प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>इस Diversion के औचित्य एवं महती आवश्यकता के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संशय हो तो किसी वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर भेजकर वस्तुस्थिति की जानकारी लेने का श्रम करावें अन्यथा इस प्रस्ताव को अविलम्ब स्वीकृत कर आमजन को राहत प्रदान कराने का कष्ट करावे।</p>

Ser No	Type of E.D.S.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत पालना
2.	After construction of this road, the left out area is very less so cannot be managed and liable to encroachment.	<p>वन भूमि के Diversion के बाद सड़क का निर्माण हो जाने के उपरान्त शेष बची वन भूमि काफी कम होने के कारण मुख्यालय के स्तर से इसका प्रबन्धन न हो जाने के उपरान्त शेष पर अतिक्रमण होने की आशंका व्यक्त की गई है जो पूर्णतया निर्मूल है।</p> <p>इसी क्रम में निवेदन है कि जिले की वन भूमियों के प्रबन्धन एवं इनकी सुरक्षा का दायित्व उप वन संरक्षक का होता है तथा उप वन संरक्षक, जोधपुर के द्वारा प्रस्तावित भूमि का मौका निरीक्षण करके इन सभी तथ्यों पर गौर करते हुए ही वन भूमि के प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई तथा उपवन संरक्षक की निरीक्षण रिपोर्ट में शेष बची वन भूमि के प्रबंधन में किसी प्रकार की समस्या आने अथवा इस पर अतिक्रमण की संभावनाएं प्रबल हो जाने के बारे में कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है। उक्त वन भूमि वर्तमान में भी पक्की चार दीवारी के द्वारा घेरकर सुरक्षित की गई है तथा प्रत्यावर्तन हो जाने के उपरान्त निर्मित की जाने वाली सड़क के दोनों तरफ पक्की दीवार का निर्माण कार्य किया जाने का प्रावधान रखा गया है इसके लिए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के तकमीना के अनुसार राशी जमा करने के Undertaking दे रखी है। अतः शेष बची वन भूमि के प्रबन्धन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है तथा इस पर अतिक्रमण की संभावनाएं बढ़ जाने की भी कोई आशंका नहीं है।</p>
3.	It is seen from google image of the area that this is very good green cover in the heart of the city, which will be destroyed after construction of the road.	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर में मुख्यालय के द्वारा स्वयं के स्तर से इस क्षेत्र की Google पर प्रदर्शित इमेज (image) के आधार पर सड़क का निर्माण होने की स्थिति में शहर के हृदय स्थल में स्थित इस वन क्षेत्र जोधपुर मुख्य शहर के बाहर जोधपुर रेल्वे स्टेशन से लगभग 8 किलो मीटर की दूरी पर पाली जाने वाली मुख्य सड़क के किनारे पर स्थित है। इसके आस पास स्थित आफरी व काजरी परिसरों के विशाल भू-भाग में हरा-भरा एवं जंगल मौजूद है जबकि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का रकाबा अत्यन्त अल्प है (क्षेत्रफल 0.3291 Hac.) ही है। अतः प्रस्तावित क्षेत्र के आस पास विस्तृत भू-भाग पर सघन हरितावरण मौजूद है।</p> <p>प्रयोक्ता अभिकरण का निवेदन है कि JDA जोधपुर अपने नागरिकों को बेहतर मूल-भूत सुविधाएं (यथा सड़क, बिजली, पानी आदि) प्रदान में करने के साथ-साथ शुद्ध पर्यावरण उपलब्ध कराने के लिए भी कृत संकल्प है। JDA जोधपुर के द्वारा शहर में उपर्युक्त स्थानों पर प्रतिवर्ष हजारों पेड़-पौधे लगाये जाते हैं। इस प्रत्यावर्तन प्रकरण में यथा संभव न्यूनतम पेड़ हटाये जायेंगे तथा प्रत्यावर्तन की स्वीकृति में वर्णित शर्तों में वर्णित यंख्या में स्थानीय प्रजातियों के पौधे रोपित कर इनकी सुरक्षा एवं सार संचाल कर इनको पेड़ों के रूप में विकसित करना सुनिश्चित किया जायेगा।</p>

अतः निवेदन है कि उक्त प्रत्यावर्तन प्रस्ताव किसी संस्था अथवा निजी व्यक्तियों के हितों को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं, बल्कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आमजन की सुरक्षित एवं सहज सड़क मार्ग उपलब्ध करये जाने के नेक उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रस्तावित किया गया है। आमजन को राहत प्रदान करने के लिए इस जन उपयोगी प्रस्ताव को अविलम्ब स्वीकृत करने का कष्ट करे।

संलग्न:- उपर्युक्तानुसार

भवदीय



(रमेश कुमार मालपानी)

उप वन संरक्षक

जोधपुर

दिनांक:

क्रमांक: सम/

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. श्रीमान अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, अरण्य भवन, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

३०

उप वन संरक्षक

जोधपुर



F1593

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राज्य शासक, जोधपुर, जयपुर-342001

Phone No. 0291-261208, 263635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक- जो.वि.प्रा./अ.अ./प्र.क्षेप/2021-22/792

दिनांक- 18/1/22

उप वन संरक्षक
जोधपुर

विषय- प्रस्तावित रोड बुडी गगतासनी हाउसिंग बोर्ड से पली सम्पर्क रोड हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/160-8, क्षेत्रफल 0.328 हेक्टेयर के सम्वन्ध में।

संदर्भ- आपका पत्र क्रमांक F(593)FCA/उप वन संरक्षक / 2021-22 दिनांक 22.11.2021

महोदयजी,

उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि उक्त प्रस्ताव जोधपुर शहर के दक्षिण में स्थित विभिन्न कॉलोनिया जैसे करमी नगर, राजीव नगर, लक्ष्मी विहार, महावीर नगर बुडी गगतासनी हाउसिंग बोर्ड विवेक विहार की अबास्तोव कोलोनिया एवं दक्षिण दिशा में स्थित लाजो कॉलोनी को जोधपुर शहर में आवागमन के लिए सुगम-सुरक्षित सड़क मार्ग उपलब्ध कराने के मूलभूत उद्देश्य की पूर्ति के लिए JDA के द्वारा वन भूमि के Diversion हेतु उक्त प्रस्ताव किया गया। आपके आशेषों का विन्मुवार निम्नलिखित प्रतिउत्तर है-

1. आपके द्वारा EDS F1593/FCA/उप वन संरक्षक/2021-22 दिनांक 22.11.2021 में उल्लेखित वैकल्पिक मार्ग से हजारों वाहन प्रतिदिन गुजरते हैं। उक्त वैकल्पिक मार्ग अत्यन्त टेंडा-मैदा एवं संकड़ा है, कुछ स्थानों पर उक्त मार्ग मात्र 15 फीट चौड़ा है तथा साथ ही कई स्थानों पर 90 डिग्री पर मुड़ने वाले खतरनाक अन्धे मोड़ हैं जिसके कारण वहाँ पर कई बार भीषण दुर्घटनाएँ होने से जनहानि भी हो चुकी है। वहाँ से गुजरने वाले राहगीरों के लिए संवेद्य हो जायता है - अनहोनी हो जाने का आदेश बना रहता है तथा ट्रैफिक के भारी दबाव के कारण व्यस्त अवधि के दौरान वहाँ से बड़े वाहनों का गुजरना लगभग असंभव हो जाता है।

इन्ही तथ्यों की दृष्टिगत रखते हुए, उक्त वैकल्पिक मार्ग नॉजुड होने के बावजूद DCF के द्वारा इस प्रकार का Diversion हेतु प्रस्तावित भूमि का मौका निरीक्षण किये जाने पर इसका औचित्य एवं नहती आवश्यकता से पूर्णतया सहमत होकर इस प्रस्ताव को अनुमति दी गई।

इस क्रम में यह भी निवेदन है कि शहर के कारिजों के आवागमन के लिए सहज एवं सुरक्षित सड़क मार्ग उपलब्ध कराया जाना JDA की नैतिक विन्ययारी है, वहाँ के निवासियों की इस मूलभूत मांग को दृष्टिगत रखकर गहन विचारोपरान्त हो JDA प्राथम के द्वारा उक्त Diversion हेतु प्राथम पत्र तैयार कर प्रस्तुत किया गया है।

इस क्रम में जनहित में अति महत्वपूर्ण में प्रकरण विगत 6-7 वर्षों की लम्बी अवधि तक आपके विभाग के द्वारा बार-बार की गई अनन्त आपत्तियों का निरकरण करने के लिए अत्यधिक राजकीय धन सनय एवं सान्द्रो का व्यय करने के उपरान्त मौके के अधिकारी अर्थात् उपवन संरक्षक के वजाय मुख्यालय के स्तर से वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने का उल्लेख करत हुए Diversion के औचित्य पर पान चिन्ह लगाया जाना आमजन को मूलभूत सुविधा प्रदान करने के वजाय JDA के नेक प्रयासों पर कुठाराघात है तथा कतई उचित नहीं है।

इस Diversion के औचित्य एवं नहती आवश्यकता के सम्वन्ध में किसी प्रकार का संशय हो तो किसी वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर नेजकर वस्तुस्थिति को जानकारी लेने का श्रम कराव अन्वधा इस प्रस्ताव को अविलम्ब स्वीकृत कर आमजन को राहत प्रदान कराने का कष्ट करावे।

2. After inspection for workability out once is very less to be managed & is liable to be inconvenience वन भूमि के Diversion के बाद सड़क का निर्माण हो जाने के उपरान्त शेष बची वन भूमि काफी कम होने के कारण मुख्यालय के स्तर से इसका परधान न हो पाने व इस पर अतिक्रमण होने की आशंका व्यक्त हो गई है जो पूर्णतया निरूल है।

निवेदन है कि जिले की वन भूमियों के पक्कन एवं इनकी सुरक्षा का दायित्व उपवन संरक्षक का होता है तथा उपवन संरक्षक जोधपुर के द्वारा प्रस्तावित भूमि का मौका निरीक्षण करके इन सभी तथ्यों पर गौर करत हुए ही वन भूमि को प्रत्यावर्तन की अनुमति को गई तथा उपवन संरक्षक की निरीक्षण

सत्यापित प्रतिलिपि

उप वन संरक्षक
जोधपुर

(R2)

रिपोर्ट में शेष बची वन भूमि के प्रबंधन में किसी प्रकार की समस्या आने अथवा इस पर अतिक्रमण की सम्भावनाएँ प्रबल हो जाने के बारे में कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है। उक्त वन भूमि वर्तमान में पक्की चारदीवारी के द्वारा घेरकर सुरक्षित की गई है तथा प्रत्यावर्तन हो जाने के उपरान्त निर्मित हो जाने वाली सड़क के दोनों तरफ पक्की दीवार का निर्माण कार्य किया जाने का प्रावधान रखा गया है इसके लिए JDA द्वारा वन विभाग के तकमीनाके अनुसार राशी जमा करने के लिए Undertaking दे रखी है। अतः शेष बची वन भूमि के प्रबंधन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है तथा इस पर अतिक्रमण की सम्भावनाएँ बह जाने की भी कोई आशंका नहीं है।


अतः प्रस्ताव को अखिलम्य स्वीकृत कर आमजन को राहत प्रदान करने का कष्ट करे।

- 3 मुख्यालय के द्वारा स्वयं के स्तर से इस क्षेत्र की Google पर प्रदर्शित इमेज (image) के आधार पर सड़क का निर्माण होने की स्थिति में शहर के इंदर सडक में स्थित इस वन क्षेत्र में मौजूद हरितावरण के नष्ट हो जाने की आपत्ति अंकित की गई है। इस मामले में निवेदन है कि उक्त वन क्षेत्र जोधपुर मुख्य शहर के बाहर जोधपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर पाली जाने वाली मुख्य सड़क के किनारे पर स्थित है। इसके अति निकट स्थित जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय परिसर के विशाल भू-भाग तथा इसके आस पास स्थित आफरी व काजरी परिसरों के विशाल भू-भाग में डरा-भरा एवं जंगल मौजूद है जबकि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का रकबा अत्यन्त अल्प है (मात्र 0.3291 Ha.) ही है। अतः प्रस्तावित क्षेत्र के आस-पास विस्तृत भू-भाग पर सघन हरितावरण मौजूद है।

निवेदन है कि JDA जोधपुर अपने नागरिकों को बेहतरीन मूल-भूत सुविधाएँ (यथा सड़क, बिजली, पानी आदि) प्रदान करने के साथ-साथ शुद्ध पर्यावरण उपलब्ध कराने के लिए भी कृत संकल्प है। JDA जोधपुर के द्वारा शहर में उपयुक्त स्थानों पर प्रतिवर्ष हजारों पेड़-पौधे लगाये जाते हैं।

इस Diversion प्रकरण में यथा संभव न्यूनतम पेड़ हटाये जायेंगे तथा प्रत्यावर्तन की स्वीकृति में वर्णित शर्तों में वर्णित संख्या में स्थानीय प्रजातियों के पौधे रोपित कर इनकी सुरक्षा एवं सार संभाल कर इनको पेड़ों के रूप में विकसित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः यह भी निवेदन है कि उक्त Diversion किसी संस्था अथवा निजी व्यक्तियों के हितों को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं बल्कि JDA द्वारा आमजन की सुरक्षित एवं सहज सड़क मार्ग उपलब्ध कराये जाने के नैतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रस्तावित किया गया है। अतः आमजन को राहत प्रदान कराने के लिए इस जनउपयोगी प्रस्ताव को अखिलम्य स्वीकृत करने का कष्ट करे।


18/11/22
सचिव


जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर
दिनांक:-

क्रमांक:- जो.वि.प्रा/अ.अ/दक्षिण/2021-22/

प्रतिलिपी वास्ते सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पधित है:-

1. मुख्य वन संधक महोदय, जोधपुर।

सत्यापित प्रतिलिपि



उप वन संरक्षक
जोधपुर

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर